न्यायालयः—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारीः—सिराज अली)

<u>व्य.वाद कं.-114ए/2014</u> प्रस्तुति दिनांक-26.12.2014

- 1-रामचंद्र पिता सैरागी, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम पोंगार, तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2—धरमचंद पिता सेरागी, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम पोंगार, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3-फागुलाल पिता सैरागी, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम पोंगार, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

बनाम

- 1—रैनु पिता बुधराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम पोंगार, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2—मन्नु पिता रैनु उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम पोंगार, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3—छबिलाल पिता रैनु उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम पोंगार, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 4—दुजीबाई जौजे रैनु उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम पोंगार, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – – – – प्रतिवादीगण

र ते वित्र वित्र असी

आदेश

<u> दिनांक-04/02/2015 को पारित</u>

1— इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 2) का साथ निराकरण किया जा रहा है।

- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं।
- 3— वादीगण का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य का मकान मौजा पोंगार रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट के खसरा नंबर 29/08, रकबा 0.583 हैक्टेअर भूमि में स्थित है। उक्त मकान से लगकर प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.12.14 को नींव खोदकर मकान निर्माण का कार्य चालू कर दिया तथा वादीगण के पूर्वजों के समय से बने हुए मकान के छत के कवेलु गिरा दिए। वादीगण ने प्रतिवादीगण को रोकने का प्रयास किया, किन्तु विवाद बढ़ने पर उनके विरूद्ध तहसीलदार के समक्ष शिकायत व पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से वादी के मकान के सड्डन व कवेलु गिराकर नुकसान पहुंचाते हुए मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अतएव प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त निर्माण को रोकने हेतु वाद के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।
- 4— प्रतिवादीगण ने उक्त आवेदन पत्र के अभिवचन से इंकार करते हुए जवाब में व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से उनकी शामिल शरीक भूमि खसरा नंबर 29/08 रकबा 0.583 हेक्टेअर भूमि का विधिवत् विभाजन उनके मध्य नहीं हुआ। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के आधे भू—भाग पर मकान बनाकर परिवार सहित निवासरत् हैं और पुराने मकान के स्थान पर ही नया पक्का मकान का निर्माण कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण के मकान से सटाकर नींव नहीं खोदी और न ही कवेलु या बांस बल्ली हटाकर मकान का निर्माण कार्य किया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के मकान में किसी प्रकार की क्षति कारित नहीं की है। प्रतिवादीगण का मकान का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। अतएव वादीगण का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5— <u>आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु है</u>:-

- 1— क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है?
- 3— क्या वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उन्हें अपूर्णीय क्षति होना संभावित है।

ः : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

- 6— वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में उनकी भूमि पर बने मकान के संबंध में राजस्व अभिलेख खसरा फार्म वर्ष 2014—15 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा निर्माणाधीन मकान के संबंध में विवाद होने पर रामचंद्र के द्वारा उक्त रिपोर्ट की गई थी। वादीगण ने उक्त दस्तावेज के अलावा निर्माणाधीन मकान के फोटोग्राफ एवं शपथकर्ता राजकुमार का शपथपत्र पेश किया है। इसके खण्डन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से निर्माणाधीन मकान के फोटोग्राफ एवं शपथकर्ता कृपाराम सोनवाने, नेमुलाल के शपथपत्र पेश किये गए हैं।
- 7— वादीगण की ओर से शपथकर्ता राजकुमार ने वादीगण के मकान को तोड़कर प्रतिवादीगण के द्वारा स्वयं का मकान बनाया जाने व वादीगण को क्षित पहुंचाए जाने के कथन किये हैं, जबिक प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत शपथकर्ता कृपाराम व नेमुलाल का शपथपत्र में कथन है कि प्रतिवादीगण अपने पुराने मकान को तोड़कर उसी पर मकान का निर्माण कार्य करा रहे हैं तथा निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उभयपक्ष की ओर विवादित निर्माणाधीन मकान के फोटोग्राफ के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादीगण के कच्चे मकान से लगकर प्रतिवादीगण के द्वारा मकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो लगभग स्लेब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उभयपक्ष के मकान के मध्य एक छेन्डी होना परिलक्षित होती है। उभयपक्ष की भूमियों का आपस में विभाजन न होना तथा पूर्वानुसार बने मकान पर निवासरत् होना प्रकट किया गया है। ऐसी दशा में उभयपक्ष के मध्य उनकी भूमि के संबंध में स्वत्व का विवाद होना प्रकट नहीं होता है, बल्कि आधिपत्य के आधार पर पूर्व से बने मकान पर निवासरत् होने और प्रतिवादीगण के द्वारा पुराने मकान पर नया मकान का निर्माण किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी दशा में वादीगण का मामला प्रथमदृष्टिया उनके पक्ष में नहीं बनता है।
- 8— प्रकरण में यह निर्विवादित स्थिति परिलक्षित होती है कि वर्तमान में प्रतिवादीगण के मकान का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा मकान के प्लास्टर आदि कार्य का शेष होना प्रकट होता है। वादीगण का दावा स्थाई निषेधाज्ञा के

अनुतोष प्राप्ति का है तथा उक्त स्थिति में प्रतिवादीगण के मकान के शेष निर्माण कार्य को रोके जाने से वादीगण की अपेक्षा प्रतिवादीगण को असुविधा होना प्रकट होती है। साथ ही वादीगण को उक्त स्थिति में कोई ऐसी अपूर्णीय क्षति होना प्रकट नहीं होती है, जिसकी भरपाई वह धन के रूप में नहीं कर सके। इस प्रकार तीनों विचारणीय बिन्दू वादीगण के पक्ष में नहीं पाए जाते।

उपरोक्त सभी कारणों से वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत 9-आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 2) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर

(सिराज अली) ्रा द ्रार न्यार बेहर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,